

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 330/2024

अजीत डामोर

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.02.2024

उपस्थित :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला परिषद उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 19.02.2024 द्वारा ऋषभदेव से कोटडा पंचायत समिति में किया गया है, परंतु अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-89(8) की अवहेलना की गई है। अपीलार्थी की ओर से पंचायत समिति ऋषभदेव द्वारा जारी पत्र दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक-2) प्रस्तुत किया है, जिसमें उक्त प्रधान द्वारा यह माना गया है कि उससे कोई सहमति नहीं ली गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत WLN(UC)(Raj)2011 page 197 मोहन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि ग्राम सेवक का एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण प्रधान से बिना परामर्श के किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग ने आदेश दिनांक 04.09.2006 जारी किया है, जिसमें स्थानांतरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिस आदेश का मद संख्या-2 निम्न प्रकार से है :-

“2. जिले के कार्मिकों के स्थानान्तरण जिले के अन्दर एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में करने के लिये जिला स्थापना समिति की सहमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी सक्षम है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्रधान की सहमति लिया जाना आवश्यक है।”

3. उपरोक्त आदेश के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान सरकार ने उक्त आदेश दिनांक 04.09.2006 में यह स्पष्ट किया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण करने के लिये संबंधित प्रधानों से सहमति लिया जाना आवश्यक है। वर्तमान में पंचायत समिति ऋषभदेव के प्रधान से कोई सहमति नहीं लिया जाना स्पष्ट है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश नियमों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि कनिष्ठ सहायक का पद स्थानान्तरणीय पद है तथा स्थानान्तरण सेवा की एक सामान्य प्रक्रिया मात्र है। कोई भी कार्मिक विशेष रूप से यह मांग नहीं कर सकता कि उसे उसके इच्छित स्थान पर ही पदस्थापित रखा जावे यह नियोक्ता का विवेकाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब कहां और कैसे लेवे विवेकाधिकार को व्यक्तिगत कठिनाईयो के आधार पर चुनौती देने का अधिकार अपीलार्थी को नहीं है। राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग के आदेश 08.02.2024 एवं 21.02.2024 तथा पंचायती राज विभाग द्वारा समय समय पर पारित आदेश एवं निर्देश और जिला परिषद उदयपुर की प्रशासन एवं स्थापना समिति बैठक दिनांक 13.02.2024 के निर्णय की अनुपालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 19.02.2024 पारित किया गया है, जो कि पूर्णतया सक्षम अधिकारिता के अन्तर्गत होने से अपीलार्थी की हस्तगत अपील मय कोस्ट के काबिल निरस्त योग्य है जो निरस्त फरमाई जावे। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89(8) में नियुक्तियों का प्रावधान है। धारा 89(8) में स्थानान्तरण का प्रावधान नहीं है। वर्तमान आदेश चूंकि स्थानान्तरण से संबंधित है, ऐसे में अपीलार्थी के संबंध में धारा 89(8) का प्रावधान नहीं पढ़ा जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि स्थानान्तरण से संबंधित प्रावधान 1996 के नियमों में रखा गया है। इससे संबंधित नियम राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 के नियम-289 व 290 है। नियमों में संबंधित प्रधानों से

परामर्श किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण उचित है।

5. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
6. वर्तमान आलोच्य आदेश के जरिये अपीलार्थी को नई पंचायत समितियों में स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति दी गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(8) स्थानांतरण आदेश से नियुक्ति के संबंध में है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान आलोच्य आदेश में धारा 89(8)(ii) लागू नहीं होती। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(8)(ii) का प्रावधान निम्न प्रकार से है :-

“(8) नियुक्तियां :-

(i).....

(ii) स्थानान्तरण द्वारा, उन पंचायत समितियों या जिला परिषदों के प्रधानों या, यथास्थिति, प्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात की जाएगी, जिनमें ऐसा स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।”

7. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि जहां नियुक्ति स्थानांतरण के द्वारा की गई है, उन मामलों में जब एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में नियुक्ति दी गई है, तो ऐसी नियुक्ति संबंधित पंचायत समिति के प्रधान से परामर्श किये जाने के पश्चात की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत WLN(UC)(Raj)2011 page 197 मोहन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य में भी यही मत दिया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण पर दोनों पंचायत समितियों के प्रमुख से परामर्श किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी ने यह प्रकट किया है कि पंचायत समिति ऋषभदेव जहां अपीलार्थी पदस्थापित है, वहां के प्रधान से सहमति नहीं ली गई है। ऐसे में यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में धारा 89(8)(ii) की अवहेलना की गई है।
8. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः अपीलार्थी की हद तक आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक-1) अपास्त किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)